



राजस्थान-सरकार

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी (एस.डी.एम.) दांतारामगढ(सीकर)

कमांक/भूरू./2014/राजस्व/

दिनांक:- 27.08.2014

संपरिवर्तन आदेश

आवेदक प्रिसेस शिक्षण संस्थान खाटूश्यामजी पंचायत समिति दांतारामगढ जिला सीकर रजि. कमांक 15/सीकर/2014-15 जरिये सचिव श्रीमति सरोज देवी पत्नि नरेन्द्र कुमार सिंहमार जाति जाट निवासी खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राजस्थान) के आवेदन पर आवेदक की खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिये इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई है :-

1	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता/पति के नाम सहित पूरा पता	प्रिसेस शिक्षण संस्थान खाटूश्यामजी पंचायत समिति दांतारामगढ जिला सीकर रजि. कमांक 15/सीकर/2014-15 जरिये सचिव श्रीमति सरोज देवी पत्नि नरेन्द्र कुमार सिंहमार जाति जाट निवासी खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राजस्थान)			
2	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदस्य है।	नहीं			
3	(क)ग्राम/ग्राम पंचायत तहसील का नाम	ग्राम खाटूश्यामजी ग्रा.पं. खाटूश्यामजी तह. दांतारामगढ(सीकर)			
	(ख)भूमि का खसरा ओर प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल (हेक्टेयर या वर्गमीटर)	खसरा नम्बर 2666/1 रकबा 0.48 है.			
	(ग)प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हेक्टेयर या वर्गमीटर)	ख.न.	रकबा	खुले क्षेत्र के रूप में रखने के लिये क्षेत्र (व.मीटर)	कुल संपरिवर्तित क्षेत्र भूमि (व.मीटर)
		2666/1	0.48	—	2500
		Total	0.48	—	2500
	टिप्पणी:- (अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।)	संपरिवर्तित भाग को संलग्न राजस्व नक्शा ट्रेस में प्रदर्शित किया गया है जो संपरिवर्तन का भाग है।			
4	संपरिवर्तन का प्रयोजन	सांस्थानिक प्रयोजनार्थ (ईकाई)			
5	संदेय प्रीमियम की दर	28.40 रुपये प्रति वर्गमीटर से रुपये 71000—			
6	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा करायी गई प्रीमियम की राशि	चा.सं. 232 दिनांक 13.08.2014 से रुपये 71000— जीएनआर संख्या 3027278 दिनांक 13.08.2014			
7	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, की जमा कराई गई राशि	-			
8	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, की जमा कराई गई राशि	-			
9	क्या आदेश नियमितिकरण के लिये नियम 13 के अधीन जारी किया गया है?	हां			
10	अन्य विशिष्टियां यदि कोई हो	नेशनल रोड कांग्रेस के नियमानुसार सडक सीमा छोडकर			

.....2.....

उप रुण्ड अधिकारी
दांतारामगढ

11. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :-

- 1 इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सड़क के मध्य से भूमि निःशुल्क राज्यपक्ष में छोड़ते हुए संपरिवर्तन की कार्यवाही की जावेगी।
- 2 संबंधित ग्राम पंचायत के नियमों का पालना किया जायेगा तथा वातावरण को स्वच्छ रखना होगा।
- 3 यदि प्रार्थी इण्डियन रोड कांग्रेस के मापदण्डों में वर्णित सड़क मार्ग से रास्ता चाहते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी। यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सड़कों से रास्ता चाहते हैं तो सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होगी।
- 4 राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक SE (NH) pa/5/d/1603 दिनांक 24-02-05 एवं परिपत्र क्रमांक f-2(8) raj/bhu-ru group 9/02 जयपुर dt. 20-11-04 भूमि रूपान्तरण अधिनियम एवं इंडियन रोड कांग्रेस के अनुसार लागू होंगे।
- 5 The land converted for the above non - agricultural purpose shall not be used for any other non agricultural purpose ,without obtaining prior permission of the prescribed authority.
- 6 No land mentioned in rule 4 shall be used for any non agricultural purpose.
- 7 No part of the land converted for public utility purpose shall be used for any other non agricultural purpose without valid permission from the prescribed authority.
- 8 If the applicant fails to use the land for the converted purpose within a period of 2 years from the date of the issue of this order the permission shall be withdrawn and the premium money deposited by the applicant shall be forfeited.
- 9 मुख्यमंत्री हरित राजस्थान योजना के तहत पर्यावरण स्वच्छ रखने के लिए प्रस्तावित खाली भूमि पर पेड़ पौधे लगाना अनिवार्य होगा।
- 10 राज्य सरकार के निर्देशानुसार भविष्य के लिए जल संचय हेतु भवन निर्माण के समय वाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम निर्माण कार्य करना अनिवार्य होगा।

उपखण्ड अधिकारी
प्राधिकृत अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़)

क्रमांक/भूमि रुपा./2014/राजस्व/ 3864-68

दिनांक:-27.08.2014

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, सीकर।
- 2 तहसीलदार, दांतारामगढ़।
- 3 ग्राम पंचायत खाटूश्यामजी।
- 4 पटवारी हल्का खाटूश्यामजी तह. दांतारामगढ़।

5 प्रिंसेस शिक्षण संस्थान खाटूश्यामजी पंचायत समिति दांतारामगढ़ जिला सीकर रजि. क्रमांक 15/सीकर/2014-15 जरिये सचिव श्रीमति सरोज देवी पति नरेन्द्र कुमार सिंहमार जाति जाट निवासी खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर (राजस्थान)

6 रक्षी पत्रावली

दांतारामगढ़ जिला सीकर
क्रमांक 12/2014-15
दिनांक 27/08/2014
प्राधिकृत अधिकारी
दांतारामगढ़

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

प्राधिकृत अधिकारी
दांतारामगढ़ (सीकर)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर (राज०)

क्रमांक: राजस्व/2021/ 613-13



दिनांक:- 13/07/2021

संपरिवर्तन आदेश

आवेदक प्रिंसेस शिक्षण संस्थान खादूश्यामजी पंचायत समिति दांतारामगढ़ सीकर रजि.क्रमांक 15/सीकर/2014-15 जरिये सचिव श्रीमति सरोज देवी पत्नि नरेन्द्र कुमार सिंहमार जाति जाट निवासी खादूश्यामजी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर। के आवेदन पर आवेदक की ग्राम खादूश्यामजी में स्थित खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामिण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम 2007 व 2012 के नियम 9 के अधिन अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन किया जाता है। जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं :-

1	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता/पति के नाम सहित पूरा पता	प्रिंसेस शिक्षण संस्थान खादूश्यामजी पंचायत समिति दांतारामगढ़ सीकर रजि.क्रमांक 15/सीकर/2014-15 जरिये सचिव श्रीमति सरोज देवी पत्नि नरेन्द्र कुमार सिंहमार जाति जाट निवासी खादूश्यामजी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
2	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदस्य है।	नहीं।
	(क)ग्राम/ग्राम पंचायत तहसील का नाम	खादूश्यामजी/ तहसील दांतारामगढ़।
	(ख) भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	खसरा नम्बर 4980/2666 रकबा 0.19 है0 यानी 1900 वर्गमीटर।
	(ग)प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तन (हेक्टेयर या वर्गमीटर में)	खसरा नम्बर 4980/2666 रकबा 0.19 है0 यानी 1900 वर्गमीटर।
	टिप्पणी - अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि को दर्शाते हुये राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।	सांस्थानिक प्रयोजनार्थ।
4	संपरिवर्तन का प्रयोजन	सांस्थानिक प्रयोजनार्थ। (भवन निर्माण हेतु)
5	संदेय प्रीमियम की दर	28.40 रुपये प्रति वर्गमीटर से रुपये 53960-
6	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा करायी गयी प्रीमियम की राशि	जीआरएननं. 39351816 दिनांक 28.09.2020 से 54000/- रुपये।
7	चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, की जमा कराई गई राशि	शून्य।
8	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज	शून्य।

तहसीलदार
दांतारामगढ़ (सीकर)

उप खंड अधिकारी
दांतारामगढ़

	यदि कोई ही, कि जमा कराई गई राशि	
9	क्या आदेश नियमितकरण के लिये नियम 13 के अधिन जारी किया गया है?	शून्य ।
10	अन्य विशिष्टिया यदि कोई हो तो	इण्डियन रोड कांग्रेस के मापदण्डानुसार रास्ते प्रयोजनार्थ भूमि का समर्पण करवाया जा चुका है

11. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :-

1. उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा ।
2. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होनी की तारीख से पाँच वर्ष की कलावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहुत कर ली जावेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया हुआ प्रीमियम धन समहत कर लिया जायेगा ।
3. नियम 4 में यथावर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा ।
4. लोकोपयोगी प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग विहित अधिकारी से विधिमान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा ।
5. राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग/अन्य सड़क इण्डियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार वर्णित सड़कों में से सड़कों के मध्य से निर्धारित भूमि निःशुल्क राज्य पक्ष में छोड़ते हुए निर्माण किया जावेगा ।
6. निकटस्थ नगरपालिका /ग्राम पंचायत की उपविधियों की पालना करनी होगी ।
7. राजस्व विभाग सार्वजनिक निर्माण ,शिक्षा विभाग ,शिक्षा विभाग एवं राज्य सरकार द्वारा समय पर जारी आदेश / परिपत्र एवं दिशा निर्देशों के लिए आवेदक बाध्य होगा ।
8. आवेदक को रुपांतरित भूमि पर भविष्य में निर्माण करने पर जब भी पेड़ों को हटाने की आवश्यकता होगी तत् समय सक्षम अधिकारी (तहसीलदार दांतारामगढ) द्वारा स्वीकृति बाद ही हटाया जायेगा ।
9. राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक प06(6)राज-6/92/पार्ट/23 दिनांक 17.07.2007 की पालना सुनिश्चित की जावेगी ।
10. निर्माण कार्य ले आउट प्लान एव बिल्डिंग प्लान के अनुमोदन के बाद ही होगा । ले आवट प्लान इस आदेश का हिस्सा होगा ।
11. संपरिवर्तित भूमि पर उद्योग संचालित करने से पूर्व राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल ,राजस्थान से नियमानुसार कन्सेन्ट टू आपरेट प्राप्त करें ।


उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ(सीकर)

क्रमांक: राजस्व/2021/ 613 - 17

दिनांक:- 13/07/2021

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, सीकर ।
2. तहसीलदार दांतारामगढ को मय नक्शा ट्रेस संपरिवर्तन आदेश भेजकर लेख है संपरिवर्तन आदेश का राजस्व रिकार्ड में अलग दरामद की नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें ।
3. ग्राम पंचायत खाटूश्यामजी ।
4. आवेदक प्रिंसेस शिक्षण संस्थान खाटूश्यामजी पंचायत समिति दांतारामगढ सीकर रजि.क्रमांक 15/सीकर/2014-15 जरिये सचिव श्रीमति सरोज देवी पत्नि नरेन्द्र कुमार सिंहमार जाति जाट निवासी खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ।
5. रक्षित पत्रावली ।


तहसीलदार
दांतारामगढ (सीकर)


उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ(सीकर)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ (जिला सीकर राज0)

क्रमांक: राजस्व/2021/314-42

दिनांक:- 27/03/2021

संपरिवर्तन आदेश

आवेदक प्रिसेस शिक्षण संस्थान खादूश्यामजी पंचायत समिति दांतारामगढ़ सीकर रजि.क्रमांक 15/सीकर/2014-15 जरिये सचिव श्रीमति सरोज देवी पत्नि नरेन्द्र कुमार सिंहमार जाति जाट निवासी खादूश्यामजी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर। के आवेदन पर आवेदक की ग्राम खादूश्यामजी में स्थित खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामिण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम 2007 व 2012 के नियम 9 के अधिन अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन किया जाता है। जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई है :-

1	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता/पति के नाम सहित पूरा पता	प्रिसेस शिक्षण संस्थान खादूश्यामजी पंचायत समिति दांतारामगढ़ सीकर रजि.क्रमांक 15/सीकर/2014-15 जरिये सचिव श्रीमति सरोज देवी पत्नि नरेन्द्र कुमार सिंहमार जाति जाट निवासी खादूश्यामजी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
2	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदस्य है।	नहीं।
	(क)ग्राम/ग्राम पंचायत तहसील का नाम	खादूश्यामजी/ तहसील दांतारामगढ़।
	(ख) भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	खसरा नम्बर 3096 रकबा 0.39 है० यानी 3900 वर्गमीटर।
	(ग)प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तन (हेक्टेयर या वर्गमीटर में)	खसरा नम्बर 3096 रकबा 0.39 है० यानी 3900 वर्गमीटर।
	टिप्पणी - अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि को दर्शाते हुये राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।	सांस्थानिक प्रयोजनार्थ।
4	संपरिवर्तन का प्रयोजन	सांस्थानिक प्रयोजनार्थ। (भवन निर्माण हेतु)
5	संदेय प्रीमियम की दर	28.40 रुपये प्रति वर्गमीटर से रुपये 110760-
6	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा करायी गयी प्रीमियम की राशि	जीआरएननं. 78328319 दिनांक 13.01.2020 से 110800/- रुपये।
7	चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, की जमा कराई गई राशि	शून्य।
8	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज	शून्य।

40
तहसीलदार
दांतारामगढ़ (सीकर)

उप खण्ड अधिकारी
दांतारामगढ़

	यदि कोई ही, कि जमा कराई गई राशि	
9	क्या आदेश नियमितिकरण के लिये नियम 13 के अधिन जारी किया गया है?	शून्य ।
10	अन्य विशिष्टिया यदि कोई हो तो	इण्डियन रोड कांग्रेस के मापदण्डानुसार रास्ते प्रयोजनार्थ भूमि का समर्पण करवाया जा चुका है

11. उपर्युत संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा :-

1. उपर्युत अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा ।
2. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होनी की तारीख से पाँच वर्ष की कलावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहुत कर ली जावेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया हुआ प्रीमियम धन समहत कर लिया जायेगा ।
3. नियम 4 में यथावर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा ।
4. लोकोपयोगी प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग विहित अधिकारी से विधिमन्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा ।
5. राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग/अन्य सड़क इण्डियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार वर्णित सड़कों में से सड़कों के मध्य से निर्धारित भूमि निःशुल्क राज्य पक्ष में छोड़ते हुए निर्माण किया जावेगा ।
6. निकटस्थ नगरपालिका /ग्राम पंचायत की उपविधियों की पालना करनी होगी ।
7. राजस्व विभाग सार्वजनिक निर्माण ,शिक्षा विभाग ,शिक्षा विभाग एवं राज्य सरकार द्वारा समय पर जारी आदेश / परिपत्र एवं दिशा निर्देशों के लिए आवेदक बाध्य होगा ।
8. आवेदक को रुपांतरित भूमि पर भविष्य में निर्माण करने पर जब भी पेड़ों को हटाने की आवश्यकता होगी तत् समय सक्षम अधिकारी (तहसीलदार दांतारामगढ़) द्वारा स्वीकृति बाद ही हटाया जायेगा ।
9. राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक प06(6)राज-6/92/पार्ट/23 दिनांक 17.07.2007 की पालना सुनिश्चित की जावेगी ।
10. निर्माण कार्य ले आउट प्लान एव बिल्डिंग प्लान के अनुमोदन के बाद ही होगा । ले आवट प्लान इस आदेश का हिस्सा होगा ।
11. संपरिवर्तित भूमि पर उद्योग संचालित करने से पूर्व राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल ,राजस्थान से नियमानुसार कन्सेन्ट टू ऑपरेट प्राप्त करें ।




उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ़(सीकर)

क्रमांक: राजस्व/2021/314-42

दिनांक:- 27/03/2021

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, सीकर ।
2. तहसीलदार दांतारामगढ़ को मय नक्शा ट्रेस संपरिवर्तन आदेश भेजकर लेख है संपरिवर्तन आदेश का राजस्व रिकार्ड में अलग दरामद की नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें ।
3. ग्राम पंचायत खाटूश्यामजी ।
4. आवेदक प्रिंसेस शिक्षण संस्थान खाटूश्यामजी पंचायत समिति दांतारामगढ़ सीकर रजि.क्रमांक 15/सीकर/2014-15 जरिये सचिव श्रीमति सरोज देवी पत्नि नरेन्द्र कुमार सिंहमार जाति जाट निवासी खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर ।
5. रक्षित पत्रावली ।


तहसीलदार
दांतारामगढ़ (सीकर)


उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ़(सीकर)